change in land deterioration in these project areas has not been reported.

(b) The investment made till 1985-86 on Gandak project is Rs. 370.80 crores, Kosi project Rs. 133.18 crores, Tawa project Rs. 111.87 crores and Mahanadi project Rs. 72.15 crores.

Investment and Maintenance Expenditure on Major Irrigation Projects

2375. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

SHRI KAILASH PATI MISHRA:

SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the total investment on major irrigation projects and the average yearly maintenance expenditure incurred upon them;

(b) what is the annual return from them during each of the last three years;

(c) whether it is a fact that revenue was less than the maintenance expenditure plus the interests on investment in various project; and

(d) if so, what action Government propose to take to remedy the situation?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) An amount of about Rs. 15080 crores has been invested on major and medium projects upto the end of Sixth Plan. Information with regard to the yearly maintenance costs and the annual returns is not maintained at the Centre.

(c) and (d) In general, the returns from irrigation projects do not meet the Operation and Maintenance costs. The State Governments have been requested to revise the water rates and improve recoveries.

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में वेतनमानों में संशोधन

2376. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, भिलाई में 1974 से वेतनमानों में संशोधन नहीं किया गया जबकि मंत्रालय के अधीन अन्य उद्योगों में कई बार वेतन वृद्धि की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भिलाई इकाई सहित हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में कार्यपालकों और गैर कार्यपालकों के वेतनमान दिनांक 1-1-1974 से संशोधन किए गए थे और कामगार श्रेणियों के वेतनमान दिनांक 1-5-1974 से और दोबारा दिनांक 1-10-1977 से संशोधित किए गए थे। इस्पात विभाग के अन्य उपक्रमों में वेतन मान, वेतन करारों के अनुसार समय समय पर संशोधित किए गए हैं।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में गैर-कार्यपालकों और कामगारों के वेतनमानों का आगे संशोधन करने के संबंध में बातचीत वर्ष 1981 में शुरू की गई थी। इसी मामले को उसी वर्ष संयुक्त मंच की बैठकों में भी उठाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर संघों से विचार-विमर्श किया गया था, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। कार्यपालकों का मामला न्याय-निर्णयाधीन है।